

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 4492/2026**

वंश रस्तोगी

.....प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव,
गृह विभाग, लखनऊ

.....विपक्षी (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता	: अर्जुन कुमार कौशल
विपक्षी (गण) के अधिवक्ता	: शा.अ.

न्यायालय संख्या - 12**माननीय न्यायमूर्ति, श्री प्रकाश सिंह**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अ.शा.अ के निवेदनो को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर मुकदमा अपराध संख्या 46/2026, अंतर्गत धारा 310(2), 308(5), 333, 351(2), 352, भा.न्या.सं. और सू.प्रौ. अधिनियम की धारा 66 ड के तहत; थाना-अलीगंज, जिला-लखनऊ आरोप में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी निर्दोष है और वह 21.03.2026 से जेल में है। वे आगे निवेदन करते हैं कि सह-अभियुक्त - ऋषभ रस्तोगी और खालिद अहमद, जिनकी भूमिका एक जैसी थी, उन्हें यह न्यायालय पहले ही जमानत प्रदान कर चुकी है। यह जमानत आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3103/2026 और 2872/2026 में क्रमशः 30.04.2026 और 10.06.2026 को दिए गए आदेशों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के तहत दी गई थी। ऐसी दशा में, प्रार्थी भी ज़मानत का पात्र है। ज़मानत मिलने पर वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अ.शा.अ. ने प्रार्थी की ज़मानत प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उन्होंने यह माना कि सह-अभियुक्त - ऋषभ रस्तोगी और खालिद अहमद को इस न्यायालय से पहले ही ज़मानत मिल चुकी है।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों, अभिलेख पर मौजूद सामग्री प्र.सू.रि. के तथ्यों, अन्य संबंधित दस्तावेजों, सह-अभियुक्त - ऋषभ रस्तोगी और खालिद अहमद के ज़मानत आदेश जिसे प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष पेश किया और अभिलेख पर लिया गया, समानता के आधार और साथ ही सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि प्रार्थी ज़मानत पर रिहा किये जाने योग्य है।
6. ज़मानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
7. प्रार्थी - वंश रस्तोगी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय प्रतिभू पेश करने पर उक्त मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-
 - i. प्रार्थी ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जो उस अपराध जैसा हो जिसके लिए उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
 - ii. प्रार्थी, मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।
 - iii. प्रार्थी को यह वचनपत्र देना होगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि पर सुनवाई स्थगन की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो परीक्षण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि अनुरूप आदेश दे सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- iv. प्रार्थी को परीक्षण न्यायालय द्वारा नियत की गई प्रत्येक तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए उपस्थित होना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस कारण के उपस्थित नहीं रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 229-क /भा.न्या.सं. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकती है।
- v. अगर प्रार्थी परीक्षण के दौरान ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82/भा.ना.सु.सं. की धारा 84 के तहत उदघोषणा जारी की जा सकती है। अगर प्रार्थी ऐसी उदघोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो परीक्षण न्यायालय विधि अनुरूप भा.दं.सं. की धारा 174-क /भा.न्या.सं. की धारा 209 के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करेगा।
- vi. प्रार्थी को परीक्षण न्यायालय के समक्ष इन तिथियों पर (1) वाद शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) दं.प्र.सं. की धारा 313/भा.ना.सु.सं. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। अगर परीक्षण न्यायालय को लगता है कि प्रार्थी जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो न्यायालय इस चूक को ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि अनुरूप उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है।
8. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति, श्री प्रकाश सिंह)

25 जून 2026

आरती/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।